झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

रॉंची
दिनांक :- 23-7-12

संचि०सं०-01/स्था०स्थाना०/पद०-11-04/2011-3552/दिनांक 28.06.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची के निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता(यॉत्रिक) (चालू प्रभार) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् उनके अपने ही वेतनमान् में उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए अधीक्षण अभियंता(यॉत्रिक) (स्वतन्त्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई०डी०/जन्म तिथि /गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री सच्चिदानन्द चौधरी एम 220/10.10.54/ मुंगेर	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.)(यॉ.) यॉत्रिक प्रमंडल ईचा चालियामा	निदेशक, क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, रॉंची	श्री मोती राम के दि० 31.07.12 को सेवानिवृति के उपरांत प्रभावी
2.	श्री अजीत कुमार सिन्हा एम 227/30.04.54/ भोजपुर	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.)(यॉ.) यॉत्रिक प्रमंडल, चांडिल	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.)(यॉ.) लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. अधीक्षण अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें अधीक्षण अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगें उन्हें कार्यपालक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

6. अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23.7.12
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र०)।

D:\PRAMOD\Notification June 2012\SE. (M).docx

ज्ञापांक :– 3552   राँची, दिनांक :– 23-7-12

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी॰डी॰सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

23.7.12

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 3552   राँची, दिनांक :– 23-7-12

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि॰, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब॰, 7यो॰, एवं 8ए॰, 8बी॰ एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगें। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर वे स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगें।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित पदाधिकारियों का माह अगस्त 2012 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरूद्ध हीं करेंगें।

23.7.12

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

D:\PRAMOD\Notification June 2012\SE (M).docx